कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 हेतु (अनिवार्य स्थानान्तरण/अनुरोध के आधार पर) आवश्यक दिशा निर्देशः—

1. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम 2017 में छूट प्राप्त कार्मिकों द्वारा साक्ष्य/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पश्चात अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट प्रदान की जायेगी।
2. दुर्गम क्षेत्र में रिक्ति के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने हेतु छूट प्राप्ति के पश्चात सूची में अंकित सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रवक्ता अपना आवेदन/विकल्प पत्र (दुर्गम के 10 विद्यालयों के विकल्प) संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के माध्यम से संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रवक्ता अपने विकल्प सुगम क्षेत्र की रिक्तियों के सापेक्ष (सुगम के 10 विद्यालयों के विकल्प) संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के माध्यम से संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले प्रवक्ता भी आवेदन पत्र मय साक्ष्यों सहित दिनांक 31 मई के पश्चात संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के माध्यम से संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी उक्तवत् आवेदनों/विकल्पों को पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी 15 जून से पूर्व सभी प्रकार के स्थानान्तरणों से संबंधित विकल्पों/अनुरोध के आवेदन पत्रों व साक्ष्यों को (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पृथक—पृथक) निर्धारित प्रारूप में संकलित कर संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक मा0शि0 के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
4. पात्रता सूची शिक्षकों द्वारा ई—पोर्टल पर सेवा विवरण अपडेट किये जाने के उपरान्त ही एम0आई0एस0 सेल से प्राप्त सूची के आधार पर तैयार की गयी है। किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए संबंधित प्रवक्ता/संस्थाध्यक्ष/खण्ड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति हो तो खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रत्यावेदन का निस्तारण तत्काल करवा लें।
5. अपरिहार्य कारणों से रिक्तियां घट—बढ/भिन्न हो सकती है। अतः आवेदन पत्र भरते समय विकल्प हेतु स्वयं सम्बन्धित विद्यालयों से रिक्ति की पुष्टि करना सुनिश्चित करें।
6. अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट हेतु स्थानान्तरण अधिनियम—2017 के अनुसार ही निर्धारित/सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
7. गम्भीर रोगी व विकलांगता के लिए अधिनियम की धारा 3(घ)(ड.)(च)(छ) को ध्यान से पढ़ लें।
8. वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में ऐसे प्रवक्ता आयेंगे, जिन्होंने 31 मई 2022 को 55 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो।
9. अधिनियम की धारा 7(घ) से आच्छादित होने वाले कार्मिकों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी। छूट हेतु प्रत्यावेदन एवं सक्षम अधिकारी का साक्ष्य/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शासनादेश संख्या—1613/XXIV-B-1/21—02 (01)/2020 टी0सी0—1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—1 दिनांक 23 जुलाई, 2021 के क्रम में चयन के उपरान्त कार्यरत/तैनात प्रवक्ता उक्त शासनादेश के पैरा—2(2) एवं (10) से आच्छादित रहेंगे।

27/5/2022

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

Scanned by CamScanner